

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर जिला चित्तौडगढ
पीठासीन अधिकारी श्री पुनीत कुमार गोलडा (आर०ए०एस०)

प्रकरण संख्या : 44 / 2024

दायर दिनांक : 26 / 06 / 2024

निर्णय दिनांक : 19 / 12 / 2024

उनवान

1. लालसिंह पिता भीमसिंह राजपूत निवासी नया हडमतिया तहसील भूपालसागर

प्रार्थीगण

बनाम

2. उदयसिंह पिता लालसिंह राजपूत निवासी खेडली तहसील भूपालसागर
3. भंवरसिंह पिता नारायणसिंह राजपूत निवासी खेडली तहसील भूपालसागर
4. स्मृद्रसिंह पिता नारायणसिंह राजपूत निवासी खेडली तहसील भूपालसागर
5. रामसिंह पिता नारायणसिंह राजपूत निवासी खेडली तहसील भूपालसागर
6. केसरसिंह पिता मोतीसिंह राजपूत निवासी नया हडमतिया तहसील भूपालसागर
7. इंद्रसिंह पिता मोतीसिंह राजपूत निवासी नया हडमतिया तहसील भूपालसागर
8. कमलसिंह पिता मोतीसिंह राजपूत निवासी नया हडमतिया तहसील भूपालसागर
9. तेजसिंह पिता मोतीसिंह राजपूत निवासी नया हडमतिया तहसील भूपालसागर
10. रघुनाथसिंह पिता उम्मेदसिंह राजपूत निवासी नया हडमतिया तहसील भूपालसागर
11. नेपालसिंह पिता तख्तासिंह राजपूत निवासी नया हडमतिया तहसील भूपालसागर

अप्रार्थीगण

**प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956
: निर्णय :**

प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट बाबत पत्थरगढी की जाने हेतु इस न्यायालय में प्रस्तुत किया। प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात अनुसार प्रार्थीगण रेकार्डेड खातेदार हैं। अतः प्रार्थना पत्र व रेकार्ड के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा-128 एल.आर.एक्ट बाबत पत्थरगढी का रवीकार किया जाता है। तहसीलदार भूपालसागर को 500- रुपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता है कि **ग्राम खेडली प० ह० भूपालनगर तहसील भूपालसागर के हल्के बैरूनी के प्रार्थीगण के खातेदारी के हाल खाता संख्या 47 आराजी न० 02 रकबा 0.03 है०, कुल कितना 1 कुल रकबा 0.03 है०** भूमि में उभयपक्षकारान को जरिये समन नोटिस तलब करवाकर अपने नेतृत्व में सीमाकन की टीम गठित कर चारों दिशाओं की पुख्ता पत्थरगढी की कार्यवाही करे। अगर मौके पर कोई विवाद न हो अथवा मौके पर फसल खड़ी न हो तो ही पत्थरगढी की जाये एवं कमिश्नरी शुल्क का रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट पेश करे। कमिश्नर फीस प्रार्थी से मौके पर प्राप्त करे साथ ही यह भी सुनिश्चित करे कि किसी भी न्यायालय में कोई प्रकरण विचाराधीन नहीं हो। इस आशय बाबत तहरीर जारी हो। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर स कम हाकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक **19.12.2024** को खुले न्यायालय में सुनवाया गया।

(पुनीत कुमार गोलडा)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर
भूपालसागर

